



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 16, 2017/ पौष 26, 1938

No. 29]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 16, 2017/PAUSA 26, 1938

## शहरी विकास मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2017

**सा.का.नि. 33(अ).**—केन्द्र सरकार एतद्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजूल भूमि का निपटान) नियम, 1981 के नियम 2 (एल) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2015-2016 और 16-2017 के लिए विभिन्न उपयोगों/स्थलों हेतु वसूल करने योग्य प्रीमियम की पूर्व निर्धारित दरें नीचे दिए गए अनुसार अधिसूचित करती हैं :—

## (i) नरेला

क्रम सं.	भूमि की श्रेणी	वर्ष 2015-16 के लिए अनुमोदित पूर्व निर्धारित दरें (प्रति वर्ग मी. रू. में)	वर्ष 2016-17 के लिए अनुमोदित पूर्व निर्धारित दरें (प्रति वर्ग मी. रू. में)
1	सीजीएचएस के लिए भूमि	18,366.00	20,337.00
2.	वैकल्पिक प्लॉट	14,325.00	15,582.00
3.	दि. वि. प्रा. आवास योजना		
	ईडब्ल्यूएस	6,122.00	6,779.00
	एलआईजी	9,183.00	10,169.00
	एमआईजी	15,305.00	16,947.00
	एसएफएस	18,366.00	20,337.00

## (II) रोहिणी फेज़ IV एवं V

क्रम सं.	भूमि की श्रेणी	वर्ष 2015-16 के लिए अनुमोदित पूर्व निर्धारित दरें (प्रति वर्ग मी. रू. में)	वर्ष 2016-17 के लिए अनुमोदित पूर्व निर्धारित दरें (प्रति वर्ग मी. रू. में)
1.	सीजीएचएस के लिए भूमि	18,608.00	19,778.00
2.	वैकल्पिक प्लॉट	14,487.00	15,209.00
3.	रोहिणी प्लॉट 26 वर्ग मी. 32 वर्ग मी. 60 वर्ग मी.	11,385.00 14,487.00 23,790.00	11,913.00 15,209.00 25,098.00
4.	दि. वि. प्रा. आवास योजना  ईडब्ल्यूएस एलआईजी एमआईजी एसएफएस	  6,203.00 9,304.00 15,507.00 18,608.00	  6,593.00 9,889.00 16,482.00 19,778.00

## (III) प्लास्टिक मार्किट, टीकरी कलां के लिए

क्रम सं.	उपयोग	प्लॉट का क्षेत्र वर्ग मी में .	वर्ष 2015-16 के लिए अनुमोदित पूर्व निर्धारित दरें (प्रति वर्ग मी. रू. में)	वर्ष 2016-17 के लिए अनुमोदित पूर्व निर्धारित दरें (प्रति वर्ग मी रू. में)
1.	व्यावसायिक निम्न टर्न ओवर	25.20-55.00	22,296.00	23,766.00
2.	व्यावसायिक निम्न टर्न ओवर	124.00	26,755.00	28,518.00
3.	व्यावसायिक निम्न टर्न ओवर	131.75	26,755.00	28,518.00
4.	भंडार गृह	300.00	26,755.00	28,518.00
5.	हल्के उद्योग	300.00	16,724.00	17,826.00
6.	हल्के उद्योग	495.00	19,510.00	20,796.00

ये दरें वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए प्रभावी हैं।

[सं. के-20014/05/2014-डीडी.III]

राज कुमार, अवर सचिव

**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th January, 2017

**G.S.R. 33(E).**— In exercise of powers conferred by Rule 2 (1) of the Delhi Development Authority (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981, the Central Government hereby notifies the pre-determined rates of premium chargeable for different uses/locations for the years 2015-16 and 2016-17 as under:-

**(I) NARELA**

Sl. No.	Category of land	Approved pre-determined rates for 2015-16 (in Rs. per sqm.)	Approved pre-determined rates for 2016-17 (in Rs. per sqm.)
1	Land for CGHS	18,366.00	20,337.00
2.	Alternative plots	14,325.00	15,582.00
3.	DDA Housing Schemes:		
	EWS	6,122.00	
	LIG	9,183.00	6,779.00
	MIG	15,305.00	10,169.00
	SFS	18,366.00	16,947.00
			20,337.00

**(II) ROHINI PHASE IV & V**

Sl. No.	Category of land	Approved pre-determined rates for 2015-16 (in Rs. per sqm.)	Approved pre-determined rates for 2016-17 (in Rs. per sqm.)
1.	Land for CGHS	18,608.00	19,778.00
2.	Alternative plots	14,487.00	15,209.00
3.	Rohini Plots		
	26 sqm	11,385.00	11,913.00
	32 sqm	14,487.00	15,209.00
	60 sqm	23,790.00	25,098.00
4.	DDA Housing Schemes:		
	EWS	6,203.00	6,593.00
	LIG	9,304.00	9,889.00
	MIG	15,507.00	16,482.00
	SFS	18,608.00	19,778.00

**(III) For Plastic Market, TIKRI KALAN**

S.No.	Use	Area of plot in sqm.	Approved pre-determined rates for 2015-16 (in Rs. per sqm.)	Approved pre-determined rates for 2016-17 (in Rs. per sqm.)
1.	Commercial Low Turnover	25.20-55.00	22,296.00	23,766.00
2.	Commercial Low Turnover	124.00	26,755.00	28,518.00
3.	Commercial Low Turnover	131.75	26,755.00	28,518.00
4.	Ware Housing	300.00	26,755.00	28,518.00
5.	Light Industry	300.00	16,724.00	17,826.00

6.	Light Industry	495.00	19,510.00	20,796.00
----	----------------	--------	-----------	-----------

These rates are effective for the financial year 2015-16 and 2016-17.

[No. K-20014/05/2014-DD.III]  
RAJ KUMAR, Under Secy.